

प्रेस नोट दि०-०९.११.२०२४ जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

-पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस की अवैध शराब एवं शराब बनाने वाले के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही,

-कुल ७० लीटर अवैध देशी शराब व मय शराब बनाने के उपकरण बरामद व २ कुन्तल ५० किलो लहन नष्ट कराया गया तथा कुल ०५ अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार,

थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हण्डौर की गई गिरफ्तारी/अवैध शराब की बरामदगी

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों/ अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *थाना लीलापुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम हण्डौर से कुल ७० लीटर अवैध देशी शराब व मय शराब बनाने के उपकरण बरामद व २ कुन्तल ५० किलो लहन नष्ट कराया गया तथा कुल ०५ अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।

१- म०उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह हे०का० अजय प्रजापति व म०का० रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान दि० ०८.११.२४ को ०१ व्यक्ति- बबलू पुत्र लल्लू राम निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, ०१ महिला- नीलम पत्नी बबलू निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को दो प्लास्टिक की पिपिया में १०-१० ली० कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने की भट्टी व उपकरण व ५० किलो लहन के साथ ग्राम हण्डौर खलैइया से गिरफ्तार किया गया उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु०अ०सं०- ४०२/२४ धारा ६०(२) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

२- म०उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह हे०का० अजय प्रजापति व म०का० रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान दि० ०९.११.२४ को ०१ व्यक्ति- रामकुमार पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, ०१ महिला-चटकीला पत्नी मोतीलाल निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को दो प्लास्टिक की पिपिया में १५-१५ ली० कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने की भट्टी व उपकरण व ०१ कुन्तल लहन के साथ ग्राम हण्डौर खलैइया से गिरफ्तार किया गया उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु०अ०सं०- ४०३/२४ धारा ६०(२) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

३- म०उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह हे०का० अजय प्रजापति व म०का० रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान दि० ०९.११.२४ को ०१ व्यक्ति- मोतीलाल पुत्र चिल्लहर निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को दो प्लास्टिक की पिपिया में १०-१० ली० कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने की भट्टी व उपकरण व ०१ कुन्तल लहन के साथ ग्राम हण्डौर खलैइया से गिरफ्तार किया गया उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु०अ०सं०- ४०४/२४ धारा ६०(२) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण -

०१- बबलू पुत्र लल्लू राम निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

०२ - नीलम पत्नी बबलू निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

०३- रामकुमार पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

०४- चटकीला पत्नी मोतीलाल निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

०५- मोतीलाल पुत्र चिल्लहर निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

कुल बरामदगी - कुल 70 लीटर अवैध देशी शराब व मय शराब बनाने के उपकरण बरामद व 2 कुन्तल 50 किलो लहन नष्ट कराया गया ।

पुलिस टीम - म०उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह हे०का०अजय प्रजापति व म०का० रंजना भारद्वाज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

-थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० शैलेन्द्र गुप्ता मय हमराह का० योगेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु०नं०-1039/04 मु०अ०सं०- 180/97 धारा 379,411 भादवि० थाना रानीगंज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राजेश कुमार यादव पुत्र महादेव निवासी ग्राम आमपुर बर्गा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

01- राजेश कुमार यादव पुत्र महादेव निवासी ग्राम आमपुर बर्गा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ०नि० शैलेन्द्र गुप्ता मय हमराह का० योगेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।